

**अनुदान संख्या 33 - वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां**  
**GRANT No. 33-PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	7559,75,00		
पूरक	Supplementary	2359,01,00	9918,76,00	8753,11,52 -1165,64,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1157,25,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	3191,86,00		
पूरक	Supplementary	555,38,00	3747,24,00	1320,19,58 -2427,04,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2427,03,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1.. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें ( 116564.48 लाख रु.) अगस्त, 2003, दिसम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 235901.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 49 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.116564.48 lakhs) constituted 49 percent of the supplementary grants of Rs.235901.00 lakhs obtained in August, 2003, December, 2003 and February, 2004 and 12 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare			
मू.	O.	10000.00		
पू.	S.	1.00	23600.00	23537.08 -62.92
पु.	R.	13599.00		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थाएं	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions			
मू.	O.	2000.00		
पू.	S.	924.00	2765.00	2735.80
पु.	R.	-159.00		-29.20
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals			
मू.	O.	4611.00		
पू.	S.	234973.00	237290.00	237287.71
पु.	R.	-2294.00		-2.29
मुख्य शीर्ष "3465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाएं	Major Head "3465" General Financial and Trading Institutions			
मू.	O.	650000.00		
पु.	R.	-57900.00	592100.00	592100.00
मुख्य शीर्ष "3466" अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	Major Head "3466" International Financial Institutions			
मू.	O.	951.00		
पू.	S.	1.00	998.00	169.55
पु.	R.	46.00		-828.45
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services			
मू.	O.	75911.00		
पू.	S.	2.00	6898.00	6981.38
पु.	R.	-69015.00		+83.38

(I) 75617.00 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 75614.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "3466" - "विकास प्रवेशद्वार प्रतिष्ठान-अंशदान की अदायगी"- 803.00 लाख रु. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यय को वित्तीय वर्ष 2004-05 तक ले जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "3475"-

(क) "रिसर्जेंट इंडिया बांड के अंतर्गत विनिमय हानि - रिसर्जेंट इंडिया बांड से होने वाली विनिमय हानि के लिए मूल्य खाता रख-रखाव लेखे की अदायगी"- 28857.00 लाख रु. अमरीकी डालर की तुलना में रुपए में वृद्धि होने के कारण थे।

(ख) "अन्य व्यय"-

(i) "भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम"- 3564.00 लाख रु. भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम से कोई मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) "भारत सहस्राब्दी जमा पर विनिमय हानि"- 42390.00 लाख रु. विनिमय दर में अनुकूल परिवर्तन होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य व्यय - समुदाय आधारित विश्व स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को अदायगी" के अंतर्गत 6820.00 लाख रु. की बचत (7000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) साधारण बीमा निगम से कम मांग प्राप्त होने के कारण थे।

(III) मुख्य शीर्ष "2416" - "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि को अंशदान" के अंतर्गत 187.20 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य खर्च - राष्ट्रीय आवास बैंक" के अंतर्गत 174.18 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(I) Provision of Rs.75617.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head) remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.75614.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "3466" - "Development Gateway Foundation - Payment of contribution"- Rs.803.00 lakhs - due to spill over of expenditure by Reserve Bank of India to the financial year 2004-2005.

(B) Major Head "3475"-

(a) "Exchange Loss under Resurgent India Bonds - Payment of MOV Accounts towards exchange loss arising out of Resurgent India Bonds"- Rs.28857.00 lakhs - due to appreciation of Rupee against US Dollar.

(b) "Other Expenditure"-

(i) "Industrial Credit Investment Corporation of India"- Rs.3564.00 lakhs - due to non-receipt of demand from Industrial Credit Investment Corporation of India.

(ii) "Exchange Loss on India Millennium Deposits" - Rs.42390.00 lakhs - due to favourable exchange rate variation.

(II) Under Major Head "2235" - "Other Expenditure - Payment to Public Sector General Insurance Companies for Community based Universal Health Insurance Scheme" - saving of Rs.6820.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7000.00 lakhs) was due to less receipt of demand from General Insurance Corporation.

(III) Under Major Head "2416" - "International Cooperation - Contribution to International Fund for Agricultural Development" - saving of Rs.187.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "3475" - "Other Expenditure - National Housing Bank"-saving of Rs.174.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विनिमय दर में अनुकूल घट-बढ़ होने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष "2885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को अनुदान" के अंतर्गत 2292.00 लाख रु. की बचत (4600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त किए जाने के कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष "3465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाएं - सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता - भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सहायता" के अंतर्गत 57900.00 लाख रु. की बचत (650000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बांडों के रूप में निधियों का कम उपयोग होने के कारण हुईं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (26369.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 78601.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय"-

(का) "सूखा प्रभावित व्यक्तियों को खरीफ 2002 पर आंशिक ब्याज का अधित्याग"- 18900.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 18857.08 लाख रु. था।

(खा) "वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम को अदायगी"- 1499.00 लाख रु.।

(II) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय"-

(का) "आवास विकास वित्त निगम"- 3178.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3177.61 लाख रु. था।

(खा) "भारतीय औद्योगिक विकास बैंक"- 2792.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2875.95 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (242704.42 लाख रु.) अगस्त, 2003 तथा फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 55538.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 65 प्रतिशत थीं।

Savings under the above two heads were due to favourable exchange rate variation.

(V) Under Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions - Other Expenditure - Grants to Small Industrial Development Bank of India"- saving of Rs.2292.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4600.00 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement from Small Industrial Development Bank of India than anticipated under the National Equity Fund Scheme.

(VI) Under Major Head "3465" - "General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions - Assistance to Unit Trust of India"- saving of Rs.57900.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650000.00 lakhs) was due to less utilisation of funds in the form of Bonds.

2. The above savings were partly (Rs.26369.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.78601.00 lakhs under the following major heads:-

(I) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Expenditure"-

(A) "Waiving of Partial Interest on Kharif 2002 to draught affected Persons"- Rs.18900.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.18857.08 lakhs.

(B) "Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens" - Rs.1499.00 lakhs.

(II) Major Head "3475"- "Other Expenditure"-

(A) "Housing Development Finance Corporation"- Rs.3178.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3177.61 lakhs.

(B) "Industrial Development Bank of India"- Rs.2792.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2875.95 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.242704.42 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.55538.00 lakhs obtained in August, 2003 and February, 2004 and constituted 65 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत  
हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the  
following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4885" उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4885" Other Capital Outlay on Industries and Minerals			
मू.	O.	77299.00		
पु.	R.	-77299.00		
मुख्य शीर्ष "5466" अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head "5466" Investments in International Financial Institutions			
मू.	O.	84587.00		
पू.	S.	55537.00	131913.00	131911.58
पु.	R.	-8211.00		-1.42
मुख्य शीर्ष "6416" कृषि वित्तीय संस्थाओं को कर्ज	Major Head "6416" Loans to Agricultural Financial Institutions			
पू.	S.	1.00	108.00	108.00
पु.	R.	107.00		
मुख्य शीर्ष "6885" उद्योगों और खनिजों को अन्य कर्ज	Major Head "6885" Other Loans to Industries and Minerals			
मू.	O.	157300.00		
पु.	R.	-157300.00		

(I) 246220.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 246218.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की शेयर पूंजी को अभिदान"- 77298.00 लाख रु. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अपनी देयताओं को पुनःसंरचित किए जाने के लिए इसको अनुदान प्रदान करने के सरकार के निर्णय के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "5466" - "अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को अंशदान"- 11620.00 लाख रु. विशेष डालर मूल्य वर्ग के नोटों में भारत के मूल्य खाता रख-रखाव संबंधी दायित्वों को संपरिवर्तित करने के सरकार के निर्णय के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "6885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम"- 157300.00 लाख रु. भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम की पुनर्संरचना के लिए कर्ज देने के बजाए समान राशि संवितरित करने के सरकार के निर्णय के कारण थे।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3523.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "5466" - "एशियाई विकास बैंक में निवेश"- 3416.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3416.16 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "6416" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को कर्ज"- 107.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.246220.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.246218.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4885"- "Investment in Industrial Financial Institutions - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Subscription to the Share Capital of Industrial Development Bank of India"-Rs.77298.00 lakhs - due to the decision of the Government to provide grant to Industrial Development Bank of India for restructuring its liabilities.

(B) Major Head "5466"- "Subscription to the International Bank for Reconstruction and Development"-Rs.11620.00 lakhs - due to the decision of the Government to convert India's Maintenance of Value obligations in special dollar denominated notes.

(C) Major Head "6885"- "Loans to Industrial Financial Institutions - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Industrial Finance Corporation of India"- Rs.157300.00 lakhs - due to the decision of the Government to disburse equivalent amount as grant instead of loan for the restructuring of Industrial Finance Corporation of India.

4. The above savings were partly (Rs.3523.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "5466"- "Investment in the Asian Development Bank"- Rs.3416.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3416.16 lakhs.

(B) Major Head "6416"- "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to National Bank for Agricultural and Rural Development" - Rs.107.00 lakhs.